

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-41/2016
संस्थित दिनांक 25.01.2016
फाइ. नं.-2345030002016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, गढ़ी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

सुन्हेर पिता महावीर पन्ने, उम्र-40 साल,
निवासी ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट(म.प्र.)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — आरोपी

// निर्णय //

दिनांक 26/02/2018 को घोषित

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए, 323 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 05.01.2016 को समय 05:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में फरियादिया श्रीमती पारबतीबाई के पति होते हुए फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर फरियादिया श्रीमती पारबतीबाई को हाथ-मुक्के व पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया पारबतीबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके विवाह को लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं तथा उसका एक लड़का एवं एक लड़की है। उसका पति सुन्हेर परते हमेशा शराब पीकर उसे मारता-पीटता है। उसके पति द्वारा दिनांक 05.01.2016 को लगभग 5:00 बजे उसे शराब पीने के लिये पैसे मांग रहा था, उसने देने से मना किया तो उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट कर गिरा दिया और उसके सीने पर बैठकर मारपीट किया। उसका लड़का अमन ने बीच-बचाव किया। वह उठकर भागने लगी तो उसे पत्थर से मारा, जिससे उसके सिर में पीछे की तरफ लगने से चोट आई। उसका पति उसे हमेशा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहता है। उक्त घटना को उसके लड़के अमन तथा पड़ोसी रामबतीबाई ने देखे एवं सुने हैं। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-498ए, 323 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुलाहिजा रिपोर्ट, निरीक्षण घटनास्थल, फरियादी एवं गवाहों के कथन की कार्यवाही की गई। आरोपी का उपस्थिति पंचनामा तैयार

कर न्यायालय में उपस्थित होने सूचना पत्र देकर छोड़ा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी पारबतीबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 05.01.2016 को समय 05:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में फरियादिया श्रीमती पारबतीबाई के पति होते हुए फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

05— साक्षी पारबतीबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है, जो उसका पति है। आरोपी सुन्हेरसिंह से उसका विवाह करीब 20 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब दो वर्ष पूर्व आरोपी के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध थाना गढ़ी में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा मौका-नक्शा प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उक्त बात बता दी थी। आरोपी उससे मारपीट नहीं करता। आरोपी द्वारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया गया।

06— साक्षी पारबतीबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि शादी के बाद से ही उसका पति शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था, दिनांक 05.01.2016 को शाम करीब 5:00 बजे आरोपी उससे शराब पीने के लिये पैसे मांग रहा था और नहीं देने पर उसे हाथ-मुक्कों से छाती पर बैठकर मारपीट की, जिसमें उसके लड़के अमन ने बीच-बचाव किया, वह उठकर भागने लगी तो आरोपी ने उसे पत्थर से मार दिया, जिससे उसे खून निकलने लगा और दाहिने पैर के घुटने तथा बाईं आंख के पास मारपीट करने से दर्द हो रहा

है, घटना को उसके लड़के अमन तथा पड़ोसी रामबतीबाई ने देखा है, उसके पति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

07— साक्षी पारबतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, यह वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है। वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

08— रामबतीबाई अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी सुन्हेरसिंह उसका भांजा और पार्वती सुन्हेरसिंह की पत्नि है, जिनके दो बच्चे हैं। आरोपी सुन्हेरसिंह से पार्वती का विवाह काफी वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है। उसे पति-पत्नि के मध्य किसी विवाद की जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी द्वारा परिवारी से किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई और ना ही आरोपी ने कभी परिवारी को प्रताड़ित किया। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 05.01.2016 को शाम करीब 5:00 बजे आरोपी परिवारी से शराब पीने के लिये पैसे मांग रहा था और नहीं देने पर उससे मारपीट की तो लड़के अमन एवं उसने बीच-बचाव किया था, आरोपी द्वारा मारपीट करने से परिवारी को खून निकलने लगा और दाहिने पैर के घुटने तथा बाईं आंख के पास एवं सिर में चोट आई थी, परिवारी के पति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

09— साक्षी रामबतीबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय परिवारी का आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, परिवारी ने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, परिवारी आरोपी के साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा परिवारी से कोई मारपीट नहीं की जाती है।

10— फरियादी पारबतीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार

किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है। वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। परिवादी/आहत पारबतीबाई अ.सा.01 के कथनों का समर्थन साक्षी रामबतीबाई अ.सा.02 ने भी किया है। फरियादी/आहत पारबतीबाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। अतः अभियुक्त सुन्हेर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण में आरोपी दिनांक 06.01.2016 से दिनांक 27.01.2016 तक तथा दिनांक 27.11.2017 से आज दिनांक 26.02.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी
विधि / विधिक उपयोग